संख्या:25/2021/1109 /17-1002(002)/1/2021

प्रेषक,

डा0 सरोज कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,

उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांकः 09 नवम्बर, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2020-21(कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत सामान्य महिला वर्ग हेतु कुल धनराशि रू0 187.5216 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-477 /नि0शा0/ 2021-22 /16-19(6) दिनांक 24 सितम्बर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य (पुरूष+महिला) वर्ग हेतु अवमुक्त कुल केन्द्रांश रू0 5322.57 लाख (रू0 2731.00 लाख + रू0 2591.57 लाख) के सापेक्ष अप्रयुक्त/पुनर्वैध केन्द्रांश रू0 4539.31 लाख में से महिला वर्ग हेतु अवशेष केन्द्रांश रू0 112.5130 लाख व मैचिंग राज्यांश रू0 75.0086 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 187.5216 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य (पुरूष+महिला) वर्ग हेतु दो किश्तों में कुल केन्द्रांश रू0 5322.57 लाख (रू0 2731.00 लाख + रू0 2591.57 लाख) अवमुक्त किया गया था, जिसके सापेक्ष अवशेष / अप्रयुक्त केन्द्रांश रू0 4539.31 लाख को वर्ष 2021-22 में व्यय किये जाने हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है। निदेशक मत्स्य के उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार उक्त पुनर्वैध केन्द्रांश रू0 4539.31 लाख में सामान्य पुरूष वर्ग हेतु रू0 1986.6208 लाख (कुल का 43.65 प्रतिशत) तथा महिला वर्ग हेतु रू0 2552.6892 लाख (कुल का 56.35 प्रतिशत) की धनराशि निहित थी। प्रश्नगत योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में सामान्य महिला मद में शेष केन्द्रांश रू0 2552.6892 लाख में से शासन के पत्र सख्या 16/2021/796/17-1002 (099)/3/2021 दिनांक 28 जुलाई, 2021 द्वारा मात्र केन्द्रांश रू0 2440.1762 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है और प्रश्नगत योजनान्तर्गत सामान्य महिला वर्ग मद में मात्र 112.5130 लाख का केन्द्रांश वर्तमान में अवशेष है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत सामान्य महिला मद में अवशेष केन्द्रांश रू0 112.5130 लाख तथा मैचिंग राज्यांश रू0 75.0086 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 187.5216 लाख (रू0 एक करोड सत्तासी लाख बावन हजार एक सौ साठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार 01 परियोजना हेतु श्री राज्यपाल महोदय अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजनाओं का नाम / वित्त पोषण रा024+के036) +म-ला0.0 40,के(.रा+.	इकाई /हे0)सं0 (	इकाई लागत	कुल परियोजना लागत	केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित			निर्गत की जाने वाली वित्तीय स्वीकृति			अभ्युक्ति
					केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मध्यमाकार आर0ए0एस0/ बायोफ्लाक का निर्माण	30	25.00	750.00	270.00	180.00	300.00	112.5130	75.0086	187.5216	निदेशक मत्स्य के पत्र सं0 477/ नि0शा0/ 2021-22(6) 19-16 दिनांक 24 सितम्बर, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फांट/ संलग्नकों के अनुसार।
					योग-			**112.5130**	**75.0086**	**187.5216**	

(रू0 एक करोड सत्तासी लाख बावन हजार एक सौ साठ मात्र)

(1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा पुनर्वैध की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 04.05.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा पुनर्वैध धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेगे, जो भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुरूप है।

(3) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक मत्स्य/ सम्बधित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/ संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार के दिशा- निर्देशों / गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(6) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत है।

(7) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।

(10) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया गया है।

(11) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) भारत सरकार के पत्रांक जे0- 18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2020 के प्रस्तर- 3 (।।) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(14) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(16) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(17) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों/प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं,0104-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के036 /रा0 24 /महिला लाभार्थी-40, के0+रा0) 20- सहायता अनुदान – सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

5 - यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर संख्या- 1-1853-दस- 2021-2022 दिनांक 28 अक्टूबर,2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0 सरोज कुमार)
विशेष सचिव।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 25 /2021/1109 (1) /सत्रह-म-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

http:// shasnadesh up nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।